

राजस्थान सरकार
आयोजना (युप-1) विभाग

क्रमांक: प 23(6)आयो 1 / 2022

जयपुर, दिनांक: 23 AUG 2022

आज्ञा

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम-151 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 31.03.2015 में विहित प्रावधानानुसार श्री घनश्याम गंगवाल, सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक पर्यटन विभाग को माननीय अध्यक्ष, स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र राज्य स्तरीय समिति के निजी सचिव के पद पर पे-माईनस पेंशन के आधार पर कार्यग्रहण करने की दिनांक 14.03.2022 से एक वर्ष अथवा नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिये पुनर्नियुक्त किया जाता है।

यह आज्ञा वित्त विभाग की आई.डी.संख्या 102203801 दिनांक 01.07.2022 एवं कार्मिक विभाग की आई.डी.संख्या 1632/DOP/A-2/22 दिनांक 29.07.2022 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी की जाती है।


यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से


(सुशील कुमार कुलहरी)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, सचिव (G.G) माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री कार्यालय को उनके आई डी. संख्या F22003065 दिनांक 10.08.2022 के क्रम में।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, आयोजना विभाग, राजस्थान।
3. माननीय अध्यक्ष, स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र, योजना भवन, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. उप शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र, जयपुर।
8. श्री घनश्याम गंगवाल, सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक, जयपुर।
9. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।


(स्नेहा सिंघानी)
सहायक शासन सचिव